




**The Jharkhand Urban Water Conservation and Drinking Water Regulatory Authority
Act, 2016**

Act 4 of 2017

Keywords:

Area of Operation, Category of use, Water Project

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 132 राँची, सोमवार, 24 माघ, 1938 (श०)
13 फरवरी, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-31/2016-13/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम संख्या-04, 2017)

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनों के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के उपरी सतह पर (सतही) जल के स्तरको (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) उपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति प्राधिकार की स्थापना के उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो -

अध्याय -I

प्रारम्भिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ:-

1.1 यह अधिनियम झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016" कहलायेगा ।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2.0 परिभाषाएं:-

2.1 जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1.1 कार्यक्षेत्र' से अभिप्रेत है, झारखण्ड का वर्तमान एवं भविष्य में बनने वाले सभी सम्पूर्ण शहरी भौगोलिक क्षेत्र, जहां जल का प्रबंधन, वितरण एवं उपयोग सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा किया जाता हो अथवा जो वे सभी क्षेत्र जहां से जलस्रोत अथवा जल प्रबंधन करने से आमजनों को शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में आसानी हो ।

2.2 'उपयोग की श्रेणी' से अभिप्रेत है, विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल का प्रयोग यथा- घरेलू, उद्योगों, औद्योगिक या वाणिज्यिक, पर्यावरण संबंधी, उर्जा उत्पादन आदि ।

2.3 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है प्राधिकार का अध्यक्ष ।

2.4 'विभाग' से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार ।

2.5 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है धारा -3 के तहत स्थापित झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार ।

2.6 'सरकार या' राज्य सरकार 'से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

2.7 'सदस्य' का अभिप्रेत है, प्राधिकार का सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है ।

2.8 'विहित' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

2.9 'खोज' समिति से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-06 के अधीन गठित चयन समिति,

2.10 'नियम' से अभिप्रेत है, सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत बनने वाले नियम,

2.11 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाये जानेवाले नियम की अधिसूचना ।

2.12 'वर्णित' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा वर्णित ।

2.13 'जल परियोजना' से अभिप्रेत है, वैसी योजना जो पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु भूमि आदि ।

अध्याय-II

नियामक प्राधिकार की स्थापना

- 3.1 नियामक प्राधिकार की स्थापना एवं उद्देश्य:
- 3.1.1 इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियामक प्राधिकार की स्थापना करेगी, जिसे झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के रूप में जाना जायेगा ।
- 3.1.2 प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा ।
- 3.1.3 प्राधिकार का प्रधान कार्यालय रांची में होगा ।
- 3.1.4 प्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक सदस्य होंगे ।
- 3.1.5 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में गठित खोज समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी ।
- 3.2 नियामक प्राधिकार का उद्देश्य:
- 3.2.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना,
- 3.2.2 शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भू-गर्भीय जलसंसाधनों के स्रोतों, संरक्षित जल एवं सतही जल का संरक्षण,
- 3.2.3 भूमि के उपरी भाग पर वर्षा के जल का संरक्षण एवं सतही जलस्तर को जलछाजन, जलउन्नयन (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) एवं अन्य वर्तमान प्रचलित एवं वैज्ञानिक तरीके/माध्यम से उपर उठाने हेतु प्रयास करना ।
- 3.2.4 जलस्रोतों में जलउन्नयन (water recharge) करना तथा जल के विनियमन,
- 3.2.5 नदियों, तालाबों एवं अन्यस्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु और इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जलप्रबंधन सुनिश्चित करना,
- 3.2.6 जल के प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाना,
- 3.2.7 शहरी क्षेत्र में जल के अनुचित दोहन को रोकना,
- 3.2.8 जलापूर्ति हेतु समय-समय पर नियमावली की परिवर्तनीय शर्तों को निर्धारित करते हुए लागू करना
- 3.2.9 जलसंयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होनेवाले जलशुल्क की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने में मदद करना तथा राजस्व को बढ़ाने में सहयोग करना,
- 3.2.10 जलप्रबंधन, समुचित उपयोग के निमित्त जनजागरूकता आदि का कार्य कराना, तथा

- 3.2.11 समय-समय पर उपभोक्ता जलदर (User water chagres) को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर की निरन्तरता बनाये रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना ।
- 3.2.12 जलसंतुलन के लिए कार्य करना ।
- 3.2.13 गैर राजस्व जल की मात्रा को शून्य तक करना ।
- 3.2.14 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना ।
- 3.2.15 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा नगरीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- 3.2.16 जलकर का निर्धारण तथा उसका विनिमयन करना साथ ही साथ भू-गर्भीय एवं सतही जल के उपयोग यथा पीने, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु, एक दर का निर्धारण करते हुए जलसंतुलन बनाना एवं राजस्व बढ़ाना ।
- 4.0 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता
- 4.1 केवल ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित योग्यता रखता हो:-
- 4.1.1 अध्यक्ष- न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं न्यूनतम 25 वर्षों के प्रशासनिक / तकनीकी सेवा के अनुभव के साथ राज्य सरकार में सचिव / अभियंता प्रमुख स्तर का पदधारण किया हो तथा उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जलसंचयन एवं जलसंसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो ।
- 4.1.2 सदस्य - दो होंगे ।
- 4.1.2.1 सदस्य- तकनीकी
- क. विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेयजलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो।
- ख. न्यूनतम योग्यता बी०टेक/बी०ई० (सिविल, यांत्रिक, जलविज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र)
- ग. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति/ जलसंचयन/जलसंसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा
- घ. मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो ।
- 2 सदस्य- प्रशासन
- क. एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जिसे प्रशासनिक कार्य का कम से कम पच्चीस वर्षों का कार्यानुभव हो, तथा
- ख. अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान/सांख्यिकी/प्रबंधन में मास्टर डिग्री/प्रबंधन में पी०जी० डिप्लोमा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता हो ।

- 4.2 प्राधिकार का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पदधारण नहीं करेगा ।
- 4.3 अध्यक्ष प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ।
- 4.4 जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब सदस्य (प्रशासन) अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।
- 4.5 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते
- 4.5.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।
- 4.5.2 यदि सरकार के वर्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत्त न हो जायें ।
- 4.5.3 अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतने होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा ।
- अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात्पूर्ववत प्राप्त होंगी ।
- 4.5.4 वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अध्यक्ष /सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है ।
- 4.6 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को अनुमान्य अवकाश
- 4.6.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए घोषित निगोशिएबल इन्सट्रुमेंटएक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टियां एवं कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश के हकदार होंगे ।
- 4.6.2 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा ।

- 4.6.3 अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सक्षम प्राधिकार होंगे तथा किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होंगे ।
- 5.0 एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहित किया जायेगा:
- 5.1. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या
- 5.2. यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, या
- 5.3. यदि उसे किसी भी अपराध से जुड़े नैतिक भ्रष्टता के लिए कारावास की सजा सुनाई गयी है, या दोषी पाया गया हो ।
- 5.4. उसने वित्तीय या अन्य लाभ हासिल कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यों को प्रभावित होने की संभावना हो ।
- 5.5. उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो जिससे उसे पद पर बने रहने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या
- 5.6. वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो या वहां के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार हो, या
- 5.7. वह किसी राजनीतिक पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हो अथवा उसमें कोई पदधारण करता है ।
- 6.0 खोज समिति का गठन तथा कार्य
- 6.1 राज्य सरकार धारा 03 की उपधारा 05 के अधीन अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करेगी । समिति कास्वरूप निम्नवत होगा :-
- 6.1.1 मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष
- 6.1.2 विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य
- 6.1.3 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य
- 6.1.4 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य
- 6.2 राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण हुई रिक्ति के एक माह के अन्दर और सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के छः महीने पहले अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निदेश देगी ।
- 6.3 अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय खोज समिति उस व्यक्ति जिसकी अनुशंसा की जा रही है, की क्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखेगी ।
- 6.4 निर्देश की तारीख से दो महीने के भीतर चयन समिति सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

- 6.5 चयन समिति प्रत्येक निर्देशित (भेजी गई) रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।
- 6.6 वह व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिए विचार किया गया है, निम्नांकित के बारे में चयन समिति को अधिसूचित करेगा:
- 6.6.1 कोई पद, नियोजन या परामर्श कार्य समझौता या व्यवस्था जोड़ सके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय का मालिक है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है :
- 6.6.1.1 सतही जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू-जल का निकास या जलापूर्ति
- 6.6.1.2 जल उद्योग से संबंधित निर्माण, बिक्री, पट्टा, किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्ति या सौदा,
- 6.6.1.3 कोई ईकाई, जो उपर्युक्त खण्ड 6.6.1.1 तथा 6.6.1.2 में निर्दिष्ट किसी व्यापार को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करती हो।
- 6.6.2 चयन समिति द्वारा यथा निर्धारित इस तरह के अन्य विवरण और सूचना।
- 6.7 अध्यक्ष या सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति और चयन के लिए उनसे प्राप्त किया गया उपधारा 6.6 में निर्दिष्ट विवरण खोज समिति के विचार के लिए रखा जायगा ।
- 6.8 अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद के प्रभार लेने से पहले अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में धारा (6) में वर्णित व्यापार के लाभ से अपने को अलग (वंचित) रखेंगे ।
- 6.9 यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्य सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंपेगा या उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा ।
- 6.10 जिस अवधि तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहता है और किसी भी कारण से अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहने के बाद दो वर्षों तक की अवधि तक वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पद, नियोजन या परामर्श कार्य व्यवस्था, या उपधारा (6.6) में वर्णित तत्त्वसाय में वित्तीय लाभ धारण, अर्जन या ग्रहण नहीं करेगा और यदि वह ऐसे किसी भी लाभ को उत्तराधिकार या वसीयती रूप में प्राप्त करता है तो ऐसे लाभ अर्जन करने के तीन माह के अन्दर स्वयं को इस लाभ से वंचित कर लेगा ।
- 6.11 किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति, आश्वस्त हो लेगी कि वह व्यक्ति उपधारा (6.6) में निर्दिष्ट कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में उसका निर्णय पूर्वाग्रह से प्रभावित हो ।

- 6.12 खोज समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे ।
- 6.13 अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया होगी जो निर्धारित की जाए ।
- 6.14 अध्यक्ष या एक सदस्य की नियुक्ति खोज समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं की जायेगी ।
7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा-शर्तें:-
- 7.1 अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि तक पदधारण करेगा ।
परन्तु, अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति दो से अनाधिक लगातार अवधि तक हो सकती है ।
परन्तु, यह और कि अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्षों की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
- 7.2 अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी भी समय सरकार को लिखित सूचना (Notice) देने के तीन माह बाद पदत्याग सकता है या धारा 08 के प्रावधानों के अनुसार उसे उसके पद से हटाया जा सकता है ।
- 7.3 अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य पदग्रहण करने के पूर्व निर्धारित किये गये प्राधिकार के समक्ष विहित रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे ।
- 7.4 अध्यक्ष या सदस्य को देय वेतन भत्तों और अन्य शर्तें एवं बंधज ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाए ।
- 7.5 अध्यक्ष या सदस्यों को देय वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तें उनके चयन के बाद इसरूप में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी जो उनके प्रतिकूल हो।
- 7.6 अध्यक्ष या सदस्य पद समाप्ति के बाद निम्नांकित नहीं करेगा :-
- 7.6.1 वह सरकार की अनुमति के बिना अपना पद छोड़ने से दो वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा
- 7.6.2 अपना पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वह कोई भी व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा, और
- 7.6.3 किसी भीतरी के से प्राधिकार के समक्ष किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ:-
- 7.6.3.1 राज्य सरकार के अधीन नियोजन के अन्तर्गत भारत के राज्य के अन्दर किसी भी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार जो किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हों या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या संस्था (Society) में नियोजन शामिल है ।
- 7.6.3.2 वाणिज्यिक नियोजन से अभिप्रेत है किसी एजेंन्सी के तहत वैसा नियोजन जिसमें व्यक्ति जल संसाधनों से संबंधित उद्योग में

वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारोबार में लगा हो और इससे कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी शामिल है और इस रूप में या फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या एक परामर्शी के रूप में अभ्यास करना भी शामिल है ।

8.0 अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना

- 8.1 उपधारा (8.2) के उपबंधों के अध्यक्षीन, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार के सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद जांच में कदाचार साबित होता है ।
- 8.2 उपधारा (8.1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकती है यदि उसने धारा 5 में उल्लेखित निरहर्ता का अवलम्बन लिया हो ।
- 8.3 उपधारा (8.2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख) खण्ड (घ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक हटाया नहीं जा सकता जबतक कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच के आधार पर जांच के अधिकारी इस संदर्भ में जांच करने के पश्चात् अपनी जांच रिपोर्ट में सूचना न दें कि सदस्य को उक्त आधार पर हटाया जा सकता है ।
- 8.4 राज्य सरकार यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय को अध्यक्ष या अन्य संबंधित सदस्य को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित किया जायेगा ।
- 8.5 जांच के अवधि में उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट वर्णित स्थिति में राज्य सरकार वैसे सदस्य को प्राधिकार से निलंबित कर सकती है ।

9.0 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकार में प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां और उनकी सेवा शर्तें :-

- 9.1 अध्यक्ष के नियंत्रण के तहत विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने के लिये प्राधिकार एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है ।
- 9.2 प्राधिकार आवश्यक जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर सकता है ।
- 9.3 अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आवश्यकतानुसार परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है जिनकी शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित होंगी ।
- 9.4 प्राधिकार के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

- 9.5 इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तें उन्हें प्रतिनियुक्ति से पहले दिये गये लाभ से कम लाभ प्रदान ही होंगी तथा उन्हें कम लाभ प्रदान करने के रूप में बदला नहीं जायेगा ।
- 9.6 इस संबंध में प्राधिकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी ।
- 9.7 प्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी मगर जब वैसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण किसी संदर्भ में यथा-पदोन्नति, वापसी, समाप्ति या सेवानिवृत्ति की वजह से या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से आवश्यक हो तब, उसकी सेवा राज्य सरकार के अधीन प्रत्यार्पित की जायेगी ।
परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन, छुट्टी, भत्ते, सेवानिवृत्ति, पेंशन, भविष्य निधि और प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की अन्य सेवाशर्तें झारखण्ड सिविल सेवा नियमावली या इस प्रकार के अन्य नियमों, जो राज्य द्वारा समय-समय पर बनाए जाते हों, के अन्तर्गत विनियमित होंगे ।
- 10.0 प्राधिकार की कार्यवाही
- 10.1 प्राधिकार राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष को उचित लगता हो और अपनी बैठकों (अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में कार्य संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया गतनियमों का पालन करेगा जो विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए ।
- 10.2 अध्यक्ष या यदि वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसके द्वारा इस निमित्त मनोनीत सदस्य प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।
- 10.3 प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के मतदान एवं बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति को दूसरी या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।
- 10.4 प्राधिकार के सभी निर्णय, निदेश तथा आदेश लिखित रूप में आधारित कारणों के साथ होंगे तथा उसे किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसकी प्रतियां प्राधिकार द्वारा निर्धारित रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी ।
- 10.5 प्राधिकार अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा ।
- 10.6 प्राधिकार के सभी आदेश और निर्णय प्राधिकार के सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत रूप में प्रमाणित किया जायेगा ।
- 11.0 रिक्तियां आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अवधि मान्य नहीं –प्राधिकार के किसी कार्य या कार्रवाई पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसे प्राधिकार के गठन में कोई रिक्ति या दोष के आधार पर अविधि मान्य नहीं किया जाएगा ।

अध्याय-III

प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.0 प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.1. प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

- 12.1.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निमित्त सरकार समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कदम सुनिश्चित कराना ।
- 12.1.2 उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनों के स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ सतही जलस्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कराने के निमित्त सरकार को सलाह देना ।
- 12.1.3 भूमि के उपरी भाग पर सतही जलस्तर (Upgradation of surface water) को उपर उठाने हेतु (Rain water Harvesting, water recharge and conservation of Surface water) वर्षा जल को संरक्षण के निमित्त सरकार को सलाह देना एवं मानक तय करना ।
- 12.1.4 जलस्रोतों में जलउन्नयन (water recharge) करना तथा जल के विनियमन के निमित्त सरकार को सलाह देना
- 12.1.5 शहर के प्रक्षेत्र में आनेवाली नदियों, तालाबों एवं अन्य स्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था हेतु सरकार को सलाह देना ।
- 12.1.6 शहरी क्षेत्र में जल के अपव्यय को रोकने हेतु सलाह देना ।
- 12.1.7 जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होनेवाले water charges की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने के निमित्त सरकार को सलाह देना ताकि यह राज्य के सभी निकायों में लागू हो सके एवं निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए राजस्व को बढ़ाना ।
- 12.1.8 जल प्रबंधन एवं इसके समुचित उपयोग के निमित्त जनजागरूकता आदि का कार्य करना ।
- 12.1.9 समय-समय पर जलदर water charges को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए इसके लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर को निरन्तर रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना ।
- 12.1.10 घरेलू जलापूर्ति, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सतही एवं भू-गर्भीय जल के प्रयोग हेतु जलटैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना,
- 12.1.11 बहुउद्देशीय जल परियोजना के उचित संचालन और रख-रखाव (ओ एवं एम) की लागत का निर्धारण करना

- 12.1.12 जलापूर्ति क्षेत्र की लागत एवं राजस्व संग्रहण का समय-समय पर पुनरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करना ।
- 12.1.13 जलसंतुलन के लिए कार्य करना ।
- 12.1.14 गैर राजस्व जलापूर्ति को कम करना ।
- 12.1.15 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना सुनिश्चित करना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना ।
- 12.1.16 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- 12.2 सेवा प्रदानता की गुणवत्ता को प्रणाली परिचालन और रख-रखाव के अभाव से प्रभावित होने से बचाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के पूर्ण संचालन व रख-रखाव की निर्धारित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार को मानक उपलब्ध कराना ।
- 12.3 जल संसाधनों के कुशल उपयोग एवं पानी के अपव्यय को कम करने के लिए बढ़ावा देना:-
- 12.3.1 विभिन्न उपयोग कर्त्ताओं/विभागों द्वारा जलापूर्ति के प्रबंधन के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना एवं उसकी निगरानी करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना
- 12.3.2 विभिन्न जलापूर्ति सेवाप्रदाओं द्वारा प्रदान की जानेवाली अनुबद्ध (stipulated) सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण एवं निगरानी का कार्यान्वयन करना तथा उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना
- 12.4 परियोजना प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित जानकारीयुक्त वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन को सुनिश्चित करना :
- 12.4.1 जलापूर्ति और उसके वास्तविक उपयोग, जल उपयोग दक्षता एवं उत्पादकता के विवरण सहित पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण से संबंधित सभी सांख्यिकीय डाटा को अन्तर्विष्ट करते हुए पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण की स्थिति
- 12.4.2 अन्य परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन /बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का मानदण्ड निर्धारित करना
- 12.4.3 जलापूर्ति हेतु परियोजना को व्यवस्थागत और वैज्ञानिक पहचान देने के लिए परियोजनाओं की लेखापरीक्षा
- 12.5 12.5.1 प्राधिकार निर्धारण के अनुसार उनके सदस्यों को सेवा परिदान सुनिश्चित करने के लिए जल उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन / हतोत्साहन हेतु उपयुक्त क्रियाविधि का उपाय करेगा:
- 12.5.2 इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के निर्वहन में विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर प्राधिकार, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को उपयुक्त अनुशासनात्मक करने की सिफारिश करेगा ।

12.6 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकार के सौंपे गए किसी अन्य शक्ति, कार्य और कर्तव्यों का संपादन करना ।

अध्याय-IV

खातों की लेखापरीक्षा (अंकेक्षण) एवं प्रतिवेदन

नियामक प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

- 13.0 प्राधिकार का बजट (आय-व्यय का लेखा) –प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय तक, जैसा की विहित किया जाय, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट (आय-व्यय का लेखा) तैयार करके सरकार को अग्रसारित करेगा ।
- 14.0 प्राधिकार को अनुदान और अग्रिम-सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधिवत किए गए विनियम के बाद प्राधिकार को वैसे अनुदान और अग्रिम प्रदान कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक समझे, और अनुदान और अग्रिम राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तों के अधीन दिया जायेगा ।
- 15.0 प्राधिकार लेखा
- 15.1 प्राधिकार उचित खातों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और महालेखाकार के परामर्श से सरकार द्वारा यथा निर्धारित फारम में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।
- 15.2 प्राधिकार के लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जो वह विनिर्दिष्ट करे ।
- 15.3 इस अधिनियम के अधीन महालेखाकार और लेखापरीक्षा के संबंध में प्राधिकार के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार व विशेषाधिकार होंगे जो आमतौर पर महालेखाकार को सरकारी लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं और विशेष रूप से उसे रजिस्टर, लेखा संबंधित रसीद और अन्य कागजात और कागज की मांग करने तथा प्राधिकार के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा ।
- 15.4 महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकार के लेखा तथा परीक्षा प्रतिवेदन को प्राधिकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा ।
- 16.0 प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन
- 16.1 प्राधिकार प्रत्येक वर्ष में एक बार पिछले वर्ष की गतिविधियों का सारांश देते हुए यथा विहित फारम एवं समय से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रति सरकार को भेजी जायेगी ।
- 16.2 उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन/रिपोर्ट की प्रति इसकी के छह महीने के भीतर राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी ।

अध्याय-V**विविध**

- 17.0 राज्य सरकार की सामान्य शक्तियां-सरकार को समग्र योजना और समन्वय सहित राज्य सहित राज्य में जल से संबंधित मामलों पर प्राधिकार को नीतिनिर्देश जारी करने की शक्ति होगी ।
- 18.0 प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी का लोक सेवक होना-प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अनुपालन की कार्रवाई कर रहे हों या उनके द्वारा कार्रवाई करना तात्पर्यित हो तब उन्हें भारतीय दंडसंहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।
- 19.0 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण –सरकार या प्राधिकार और सरकार के अधिकारी या प्राधिकार के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद अभियोजनया अन्य विधिक कार्यवाहीन ही चलायी जाएगी ।
- 20.0 नियम बनाने की शक्ति
- 20.1 राज्य सरकार पिछले प्रकाशन के शर्त के अध्यधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है ।
- 20.2 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा, और यदि, उस सत्र के अवसान के पूर्व, जिसमें इसे रखा गया है अथवा ठीक अनुवर्ती सत्र में विधान मंडल नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा वह सहमत होता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, और इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो राजपत्र में ऐसा विनिश्चय प्रकाशित होने की तारीख से यह नियम यथास्थिति, केवल उपांतरित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उसनियम के अधीन पूर्व में की गयी या किए जाने से लोप की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- 21.0 विवाद समाधान क्रिया विधि-
- 21.1 अपनी ओर से जारी किए गए आदेश के द्वारा सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित जल के वितरण के संबंध में विवादों के समाधान हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी को प्रारम्भिक विवाद समाधान पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है ।

- 21.2 प्राथमिक विवाद समाधान अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विवादों की सुनवाई के दौरान निर्धारित की जाए ।
- 22.0 विनियमों को बनाने के लिए प्राधिकार की शक्तियां -प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये विनियमों के साथ सुसंगत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विनियम बना सकता है ।
- 23.0 समस्याओं के समाधान हेतु प्रदत्त शक्तियां
- 23.1 जनहित से संबंधित नीति के मामले में सरकार प्राधिकार को लिखित रूप में सामान्यया विशेष निर्देश जारी कर सकती है तथा प्राधिकार को ऐसे निर्देशों पर कार्रवाई करना एवं पालन करना बाध्यकारी होगा ।
- 23.2 यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाए कि इस प्रकार का दिया गया निर्देश जनहित से संबंधित है अथवा नहीं तो इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।
24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति -
- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में इस अधिनियम में अन्तर्विष्टया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल संशोधन, परिवर्द्ध नया विलोपन जिसे करना पड़े वह आवश्यक और समीचीन समझें, आदेश द्वारा निदेशित कर सकती है जो ऐसी अवधि, जो इस आदेश के बाद बारह महीने से अधिकन हों, के दौरान प्रभावी होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-31/2016-14/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 को अनुमत झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**JHARKHAND URBAN WATER CONSERVATION AND DRINKING WATER REGULATORY
AUTHORITY ACT, 2016**
(JHARKHAND ACT No.- 04, 2017)

A ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE **JHARKHAND URBAN WATER CONSERVATION AND DRINKING WATER REGULATORY AUTHORITY** WITHIN THE STATE OF JHARKHAND, TO FACILITATE EFFECTIVE UTILISATION OF WATER RESOURCES AND ITS CONSERVATION WITHIN THE STATE TO ENSURE ITS SUSTAINABLE AND SCIENTIFIC MANAGEMENT FOR DRINKING, INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND OTHER PURPOSES IN URBAN AREA, TO ENABLE REGULATAION OF TARIFF AND OTHERS ISSUES RELATEING TO DRINKING WATER SUPPLY IN URBAN AREAS AND MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty seventh year of the Republic of Indian as follows :-

Chapter-I

Preliminary

1.0 Short title Extent, and Commencement

1.1 This Act may be called the **JHARKHAND URBAN WATER CONSERVATION AND DRINKING WATER REGULATORY AUTHORITY ACT, 2016**

1.2 It extends to the whole of the state of Jharkhand.

2.0 Definitions

2.1 In this Bill, Unless the context otherwise requires:

2.1.1 “**Area of Operation**” under the jurisdiction of an Urban Local Body or Regional Development Authority of Jharkhand.

2.1.2 “**Authority**” means the **JHARKHAND URBAN WATER CONSERVATION AND DRINKING WATER REGULATORY AUTHORITY** established under section-3 of the Bill.

- 2.1.3 “**Category of use**” means use of the water for different purpose such as for domestic, agro-based industries, individual or commercial, environmental, power generation etc., and includes such other purposes as may be presented;
- 2.1.4 “**Chairperson**” means the chairperson of the Authority.
- 2.1.5 “**Department** ” means the Department of Urban Development and Housing Department, Government of Jharkhand.
- 2.1.6 “**Government**” or “**State Government**” means the Government of Jharkhand.
- 2.1.7 “**Member**” means a Member of the Authority and includes the Chairperson.
- 2.1.8 “**Notification**” means a notification prescribed by rules made under this act.
- 2.1.9 “**Prescribed**” means as prescribed by the Government.
- 2.1.10 “**Regulation**” means the regulation made by the Government under this Act.
- 2.1.11 “**Search Committee**” means a Selection Committee constituted under Section 6 of the act,
- 2.1.12 “**State**” means the State of Jharkhand,
- 2.1.13 “**Water Project**” means a project constructed to provide drinking water and other purposes like Commercial, Industrial and other facilities to the land situated in the command area in accordance with the project report and orders issued in this regards, as revised from time to time.

Chapter II Establishment of Authority

3.0 3.1 Establishment of Authority

- 3.1.1 .1The State Government shall within three months from the date of commencement of this Act, by notification, establish an Authority to be known as the **JHARKHAND URBAN WATER CONSERVATION AND DRINKING WATER REGULATORY AUTHORITY** to perform the functions and duties, and to exercise the powers conferred on it, under this act.
- 3.1.2 The Authority shall be a body corporate;
- 3.1.3 The head office of the Authority shall be at Ranchi;
- 3.1.4 The authority shall consist of a Chairperson and two other members notified by the State Government.
- 3.1.5 The Chairperson and the Members of the Authority shall be appointed by the State Government on the recommendation of a search committee as referred in section 6

3.2 Objective of the Authority

- 3.2.1 To provide safe and quality drinking water to all people/citizen of urban area of the Jharkhand State;
- 3.2.2 Conservation of available under ground, stored and surface water of urban area;

- 3.2.3 Conservation of rain water in surface and for taking steps for uplifting the ground water level by different prevalent scientific methods like rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of surface water.
- 3.2.4 Recharge of water sources and water regulation
- 3.2.5 Ensuring scientific water management of rivers, lakes and other sources to keep it potable.
- 3.2.6 To facilitate effective and optimal use of water,
- 3.2.7 To stop inappropriate use of water in urban area;
- 3.2.8 To implement conditions, provisioned in rule made for water supply from time to time;
- 3.2.9 To assist in fixation of water tariff and collection of water charges and to help in enhancement of resources in lieu of water connection and supply;
- 3.2.10 To work for creation of awareness for water management.
- 3.2.11 To assist in fixation of user water charges from time to time as per cost and service provided and to maintain continuity of service in consultation with the Govt., ULBs and general public opinion.
- 3.2.12 Work for the water balancing;
- 3.2.13 Reduce supply of Non-Revenue Water (NRW)
- 3.2.14 Promote and ensure up to 100% metering in households;
- 3.2.15 Ensure annual water Audit and make sure for water availability in urban area;
- 3.2.16 To fix and regulate the water tariff and charges for surface and sub-surface water used for domestic, commercial, industrial and other purpose for increasing resources.

4.0 Qualification for appointment of Chairperson and other members of the Authority ;

4.1 Only such members shall be appointed as the Chairperson or a Member, who possesses the qualifications mentioned as follows:-

4.1.1 Chairperson-

The Chairperson shall be a person having minimum bachelor's degree of any recognized university/Institute with administrative/technical experience of not less than 25 years. He must have held the post equivalent to Secretary/Engineer in Chief in the State Government. He/she must work experience in supply of drinking water / water resources/ rain water harvesting

4.1.2 Members- 2(two).

4.1.2.1 Member Technical:

- A.** An expert in the field of water conservation and supply of water for drinking and other purposes/ management of water resources.
- B.** Having a B. Tech/B.E degree in Civil/Mechanical/Hydrology/Allied branches of engineering

- C. Should have at least 25 years of services in the field of drinking water /water conservation/ water resources.
- D. Should have served as Chief Engineer or any post equivalent thereto;

4.1.2.2 Member Administration

- A. Must have minimum 25 years of experience in the field of administration.
- B. Should possess master's degree in economics/social Science/Statistics /Management or PG Diploma in Management.

4.2 The Chairperson or any member of the Authority shall not hold any other office during his/her tenure.

4.3 The Chairperson shall be the Chief executive Officer of the Authority.

4.4 Where the chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any vacancy occurs in the office of the Chairperson on his behalf, the member (administration) shall exercise the powers and discharge the duties of the Chairperson.

4.5 Salary /Honorarium (Remuneration) and other allowances to the Chairperson and other Members of the Authority

4.5.1. The State Govt. shall bear the Salary/ Honorarium (Remuneration), allowances and administrative expenses of the Authority.

4.5.2. At the time of appointment, if the Chairperson or Member is a serving employee of the State Government, he shall draw the same salary, allowances and other admissible benefits from his parent cadre till superannuation.

4.5.3. At the time of appointment, if the Chairperson or other Member is an employee of Central Govt. or getting pension from the State Government against his services, the Honorarium (Remuneration) shall be paid after deduction of pension amount. The total monthly emolument shall be not more than to the amount paid at the time of retirement.

If Chairperson and Member is appointed after retirement, housing, medical, travel and other admissible facilities will continue as before.

4.5.4 Those persons, who are not the employee of State Govt. and are appointed as Chairperson or Member of the Authority, the Honorarium (Remuneration) for Chairperson and Members shall be equivalent to Chief Secretary and Principal Secretary respectively of the State Government.

4.6 Admissible leave to the chairperson and other Members of the Authority :

4.6.1 The Chairperson and Members of the Authority shall be entitled for holidays declared by the Negotiable Instrument Act 1881 , Public holidays and holidays declared under Executive Order of the State Government.

4.6.2 The Chairperson and Members of The Authority will be entitled to avail casual leave determined by the State Govt. for Secretariat and attached offices of the Government.

4.6.3 The sanctioning authority of leave to the Chairperson of Authority would be Secretary/Principal Secretary of the Urban Development and Housing Department and for the Members, the Chairperson of the Authority.

5.0 Disqualification for being the Chairperson or a member - A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a members, if he,

5.1 Has been adjudged as insolvent; or

5.2 Has become physically or mentally incapable of acting; or

5.3 Has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or

5.4 Has acquired such financial or other interest as is likely to affect his function as the Chairperson or a member ;or

5.5 Has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest; or

5.6 Is a Member of Parliament or of any State Legislative or any local authority or is a candidate for election thereto; or

5.7 Is an active member of a political party or holds a post therein

6.0 Constitution and function of Search Committee

6.1 The State Government shall constitute a search committee for making appointments of the Chairperson and members under sub-section 5 of section 3, The Committee shall consist of

6.1.1 The Chief Secretary, Government of Jharkhand: **ex officio President**;

6.1.2 The Development Commissioner, Government of Jharkhand: **ex officio Member**.

6.1.3 Add. Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Govt. of Jharkhand: **ex officio Member**

Secretary.

6.1.4 Add. Chief Secretary/ Principal Secretary, Drinking Water and Sanitation Department, Govt. of Jharkhand: **ex officio Member**

6.2 The State Government shall within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal and six months before the superannuation or end of tenure of the Chairperson or the Member, make a reference to the Search Committee for filling up of the vacancy(s).

6.3 The Search Committee while making recommendation of the Chairperson and the Members, shall have due regard to performance record, ability, integrity, character, qualification and experience of the person proposed to be selected as Chairperson or Member, as the case may be.

6.4 The search committee shall try to finalize the selection of the Members within two months from the date on which reference is made to it.

- 6.5 The search committee shall recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.
- 6.6 A person who is considered for selection as the Chairperson or a Member shall notify to the Search Committee:
- 6.6.1 Of any office, employment or consultancy agreement or arrangement, which the person or his relative has in his own name or in any firm, association by any of them carrying on any of the following business:
- 6.6.1.1 Diversion of surface water, distribution of water, extraction of ground water or supply of water:
- 6.6.1.2 Manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fitting related to water industry;
- 6.6.1.3 Any entity providing any professional services to any of the business referred to in clause (6.6.1.1) and (6.6.1.2) above.
- 6.6.2 Such other details and information as may be prescribed by the Search Committee.
- 6.7 The details received from the referred to in sub-section 6.6 shall be placed for consideration of the Search Committee at the time of selection and recommendation of the person for appointment as the Chairperson or a Member;
- 6.8 The Chairperson and each Member shall, before taking charge of the office, divest himself of the interest in the business mentioned in sub-section (6) as a condition of his or her appointment;
- 6.9 If a person to be appointed as the Chairperson or a Member holds any office under the State or Central Government or any public sector corporation or any government body or is gainfully employed or engaged in service by any other person, government authorities, public private sector or otherwise, he/she shall submit his resignation or take voluntary retirement from that service before joining the Authority;
- 6.10 So long as a person holds the office of the Chairperson or a Member and for a period of two years there after he ceases to the Chairperson or a Member for any reason whatsoever, he shall not acquire, hold or maintain, directly or indirectly any office, employment or consultancy arrangement or any financial interest in any of the business mentioned in sub-section 6.6 and if he acquires any such interest by way of succession or testamentary disposition, he will divest himself of the interest within a period of three months of such interest being acquired.
- 6.11 Before recommendation of any person, the Search Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest as referred to in section 6.6 which is likely to affect prejudicially such person's functions as the Chairperson.
- 6.12 All decisions of the Search Committee shall be by a majority.
- 6.13 The procedure for selection and appointment of the Chairperson and the Member shall be such, as may be prescribed.

- 6.14 No appointment of the Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Search Committee.

7.0 Terms of office and conditions of service of the Chairperson and the Members

- 7.1 The Chairperson or a Member shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office.

Provided that, the Chairperson or a member may be re-appointed but not for more than two consecutive terms.

Provided further that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of seventy years.

- 7.2 The Chairperson or any Member may relinquish his office at any time, by giving in writing to the Government a notice of three months in advance or may be removed from his office in accordance with the provisions of section 8;

- 7.3 The Chairperson and every Member shall before entering upon his office make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed.

- 7.4 The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson or the members shall be such as may be prescribed.

- 7.5 The salary, allowances and other conditions of services of the Chairperson or the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

- 7.6 The Chairperson or a Member ceasing to hold office, shall not :

7.6.1 Be eligible for further employment under the State Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office except with the permission of Government

7.6.2 Accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such offices; and

7.6.3 Represent any person before of Authority in any manner. Explanation:- for the purposes of this sub-section:-

7.6.3.1 Employment under the State Government include employment under a local body or other authority within the territory of India under the control of any State Government or under any corporation or society owned or controlled by State Government.

7.6.3.2 Commercial Employment means employment in any capacity under or agency of, a person engaged in commercial, industrial or financial business in the water resources related industry and includes also a director of a company or partner of a firm and it also includes setting up practice either independently or as partner of a firm or as an advisor or a consultant engaged in any water resource related activity.

8.0 Removal of the Chairperson or any Member

- 8.1 Subject to the provisions of Section 8.2, Chairperson or any Member shall only be removed from his office by the State Government on the grounds of proved misbehavior on enquiry by a panel of three enquiry officers, appointed from amongst the officers equivalent to Secretary to the Government for this purpose, on reference being made to them, by the State Government.
- 8.2 Notwithstanding anything contained in section 8.1, the State government may, by order, remove a member from his office, if he has incurred any of the disqualification mentioned in section 5.
- 8.3 Notwithstanding anything contained in section 8.2, the Chairperson or a member shall not be removed from his office on the ground specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of section 5 unless the enquiring officers on a reference being made to them in this behalf by the State Government, have on an inquiry, held by them reported that the member ought on such grounds to be removed.
- 8.4 The state government shall pass suitable order in accordance with the report referred to in sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, and the final decision of the State Government shall be communicated to the Chairperson or other member concerned within a period of 30 days of receipt of such report.
- 8.5 The Government may, during the period of inquiry, as special in sub section (1), against any Member, suspend such Member of the Authority.

9.0 Power of State Government to depute officers and employees to the Authority and their service conditions.

- 9.1 The Authority may appoint a Secretary to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, as may be specified by regulations.
- 9.2 The Authority shall obtain necessary inputs from State Urban Development and Housing Department, Drinking Water and Sanitation Department and from the Water Resource Department of the State Govt.
- 9.3 The Authority may appoint consultants required to assist the Authority in the discharge of its functions on such terms and conditions as may be determined by regulations.
- 9.4 The salaries and allowances payable and other conditions of services of the Secretary, officers and other employees of the Authority shall be such, as may be determined by regulations.
- 9.5 Save as otherwise provided in this section, the terms and conditions of services of employees on deputation to the Authority shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage.
- 9.6 The State Government may appoint any Government officer or employee on deputation to the Authority on the request made by the Authority in this regard.
- 9.7 The period of deputation of any such officer or employee to the Authority may be three years except when any such person is required to be repatriated on the grounds, such as promotion,

reversion, termination or superannuation or other reason of deputation, he shall stand repatriated to service under the State Government.

Provided that , during the period of such deputation all matters relating to the pay, leave, allowances , retirement, pension, provident fund and other conditions of services of the employees on deputation shall be regulated by the applicable Services Rules or such other rules as may, from time to time, be made by the Government.

10.0 Proceedings of the Authority

10.1 The Authority shall meet at such time and place within the State as the Chairperson may think fit and shall observe such rules of procedure in transaction of business at its meeting(including the quorum at its meetings) as may be determined by regulations;

10.2 The Chairperson or if he is unable to attend a meeting of the Authority, a member nominated by the Chairperson in his behalf, shall preside at the meeting.

10.3 All matters which come up before the Authority, shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting and in the event of a tie of votes, the Chairperson or person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

10.4 All decisions, directions and orders of the Authority shall be in writing, supported by reasons and shall be available for inspection by any person and copies of the same shall also be made available in such manner as the Authority may determine;

10.5 The Authority shall regulate its own procedure.

10.6 All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Authority duly authorized by the Secretary in this behalf.

11.0 **Vacancies etc. not to invalidate act or proceedings** - No act or proceedings of the Authority shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Authority.

Chapter -III

Powers, functions and duties of the Authority

12.0 Powers, functions and duties of the Authority :

12.1 Powers, functions and duties of the Authority shall be as under:-

12.1.1 To take steps for providing potable water to general public in the cities of the State by making the Govt. aware of the real state of affairs.

12.1.2 To advise the Govt. on conservation of underground water resources, stored and to increase the surface water level.

12.1.3 Up-gradation of surface water through rain water harvesting, water recharging and conservation of surface water, and to set the standard.

12.1.4 To advise Govt. on water recharge and regulation of water.

- 12.1.5 To advice Govt. for ensuring scientific water management of rivers, lakes and other sources to keep it potable in urban areas.
- 12.1.6 To advise to prevent inappropriate use of water in urban area.
- 12.1.7 To advise the Government regarding collection of water charges from cent per cent consumer/households, so that it is implemented in all ULBs and generate enough revenues.
- 12.1.8 To work for creation of awareness for water management.
- 12.1.9 To amend water charges from time to time as per cost and services provided and to implement it by taking suggestion from general mass for regularity of services in future.
- 12.1.10 To determine water tariff and regulate it for domestic, industrial and commercial purpose.
- 12.1.11 To determine O&M cost of multipurpose water projects.
- 12.1.12 To revise and monitor cost and revenue generation of water supply sector.
- 12.1.13 To work for the water balancing.
- 12.1.14 To reduction in supply of Non-Revenue Water (NRW).
- 12.1.15 To promote and ensure up to 100% metering in house hold.
- 12.1.16 To ensure water Audit in yearly alternative years and make sure for water availability in urban area.
- 12.2 The State will take steps to ensure for full operation and maintenance requirements of such drinking and multipurpose water projects as determined by the Authority, through an appropriate budgetary support, to ensure that the quality of the service delivery is not allowed to suffer for want of systems operation and Maintenance needs.
- 12.3 To promote efficient use of water resource and minimize wastage of water by :
- 12.3.1 Fixing and monitoring implementation of stipulated quality standards for management of water resource by various user/ departments and recommend action against violations .
- 12.3.2 Fixing and monitoring implementation of stipulated quality standards for the services to be provided by various resources services providers and recommend actions against violations.
- 12.4 To ensure publication of an annual report containing following information by project authorities:
- 12.4.1 Water supply and conservation status containing all statistical data relating to water sources and conservation, including details of project wise water availability and

conservation potential and its actual utilization, water user efficiency and productivity relating to the projects.

12.4.2 Benchmarking of drinking/multipurpose water projects to identify projects with best management practices for emulation by other projects.

12.4.3 Water Audit of drinking/ multipurpose water projects giving a systematic and scientific water account of the projects.

12.5 12.5.1 The Authority shall devise a suitable mechanism for financial incentives/disincentives to the Government and consumer organizations and other water users for ensuring delivery of services to their members as per the requirement.

12.5.2 The authority shall in case of non-compliance of the specific directions in discharge of the powers under this Act, recommend to the Government for necessary action.

12.6 To perform any other powers, functions and duties as assigned to the Authority by the State Government by Notification.

CHAPTER IV **ACCOUNTS, AUDIT AND REPORTS**

13.0 Budget of Authority - The Authority shall prepare in such form and at time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year and forward it to the Government.

14.0 **Grants and advances to Authority** -The State Government may, after appropriation duly made by the State legislature, by law in this behalf, make such grants and advances to the authority on such terms and conditions as the State Government may determine.

15.0 Accounts of authority

15.1 The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Accountant General.

15.2 The Accounts of the Authority shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him.

15.3 The Accountant General and persons appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority under this Act, shall have the same right and privileges and authority in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the officers of the Authority,

15.4 The accounts of the Authority, as certified by the Account General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government by the Authority.

16.0 Annual Report of Authority

16.1 The Authority shall prepare annually and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be sent to the Government.

16.2 A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, within six months, after it is received, before the State Legislature.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

17.0 **General Powers of the State Government** - The Government shall have the power to issue directions to the Authority on matters concerning water in the State including the overall planning and co-ordination.

18.0 **Members, officers and other staff of Authority to be public servants** - The Chairperson, members, officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act or rules or regulations made there under, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

19.0 **Protection of action in good faith**- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or the Authority and officer of Government or any Members, officer or other employees of the Authority for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act rules or regulations made there under.

20.0 Power to make Rules-

20.1 The State Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purpose of this Act.

20.2 Every rule under this Act shall be laid, as soon as it is made, before House of the State legislature, while in session for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session in which it is so laid or the session immediately following. If the House agree in making any modification in rule or House agree that the rule should not be made, and notify their decision to that effect in the official Gazette, the rule shall, from the date of publication of such decision in the Official Gazette, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

21.0 Dispute Resolution Mechanism

21.1 The Government by an order issued in its behalf authorize any competent officer for each project as Dispute Resolution Officer to resolve the disputes with regard to the issuance or delivery of determined water under the Act.

21.2 The Dispute Resolution Officer shall follow such procedure as may be prescribed while hearing the disputes.

22.0 **Powers of Authority to make regulations** - The Authority with the prior

approval of the State Government may make regulations for discharging its duties consistent with this Act and the rules made thereunder.

23.0 Directions by Government

23.1The Government may issue to the Authority such general or special directions in writing in the matters of policy involving public interest and the authority shall be bound to follow and act upon such directions.

23.2If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the Government thereon shall be final.

24.0 Power to remove difficulties

If any difficulties arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act shall, during a period not exceeding twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem fit to be necessary and expedient.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
